अनुसूची 14 फारम सं0 502।

अंचल अधिकारी का न्यायालय, गोमिया (बोकारो)।

आदेश—पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

टीकामनी महतो
vs
राजेश महतो एवं अन्य

आदेश पत्रक ता0— **11.12.2024** से तक

जिला— बोकारो केश सं0— 24/**2024—25**

केश का प्रकार— विविध वाद

आदेश क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
11/12/2024	आवेदक— टीकामनी महतो, पिता— स्व0 जगदीश महतो, ग्राम— चिलगो, पो0+थाना— चतरोचट्टी, जिला— बोकारो के द्वारा एक आवेदन पत्र देकर सूचित किया गया है कि मौजा— चिलगो अंतर्गत खाता सं0— 04, प्लॉट सं0— 543, रकवा— 1.02 डी0 मध्ये 0.34 डी0 वर्षो से उनके कब्जा में है। परन्तु 1. राजेश महतो, पिता— पुरन महतो, 2. हेमलाल महतो, पिता— विशेश्वर महतो, 3. हुलास महतो, पिता— विशेश्वर महतो 4. विशेश्वर महतो, पिता— खेमलाल महतो, 5. महेश कुमार महतो, पिता— पुरन महतो, ग्राम— चिलगो, पो0 + थाना— चतरोचट्टी, जिला— बोकारो के द्वारा जे0सी0बी0 मशीन से मकान बनाने के लिए नींव (Foundation) का कार्य जबरन किया जा रहा है। अंत में उनके द्वारा प्रश्नगत जमीन का बेदखल होने से रोकने हेतु कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। विपक्षी को सूचना निर्गत करें। अभिलेख सुनवाई हेतु दिनांक— 27/12/2024 को रखें। 11.12.24 अंचल अधिकारी, गोमिया।	1018/ज्ञा० Notice 14/12/24
27/12/2024	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष की ओर से आवेदन दिया गया है। दोनों पक्ष के द्वारा सत्यापन दस्तावेज देने हेतु समय की मांग की गई है जिसे स्वीकृत किया	

जाना है। अभिलेख दिनांक- 10/01/2025 को रखें।

10/12/24

अंचल अधिकारी

10/01/2025 आवेदक की ओर से बहस की गई है। पुनः प्लॉट सं० सुधार हेतु आवेदन पत्र समर्पित किया गया है। विपक्षी की ओर से बहस की गई है।

प्रथम पक्षकार के द्वारा कागज प्रस्तुत करते हुए बतलाया गया कि संयुक्त सम्पत्ति में पूर्व से आपसी सहमति किया गया था। उसके अनुसार प्लॉट-545 रकबा-34 डि० भूमि पर मेरा दखल बना है। यद्यपि उक्त बंटवारा से संबंधित कोई वैध कागजात प्रथम पक्ष के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया।

द्वितीय पक्ष के द्वारा ~~कहा गया कि~~ एक समझौतानामा प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि वर्ष 2023 में समझौता के तहत प्रश्नगत भूमि 11 (ग्यारह) डि० भूमि पर मेरा दावा है।

प्रश्नगत भूमि आपसी बंटवारा नहीं होने के कारण एवं बंटवारा से संबंधित कोई वैध दस्तावेज नहीं होने के कारण संयुक्त सम्पत्ति में विवाद की स्थिति बनी हुई है।

...ार ...ख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	इस विवादित भूमि का कोई भी निर्णय करने के पूर्व स्थल का भौतिक निरीक्षण अति आवश्यक है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल अमीन से स्पष्ट जाँच प्रतिवेदन की माँग करें। अभिलेख दिनांक- 07/02/2025 को रखें। 10/1/25 अंचल अधि०	159 15/01/2025 to K.C. C.C. issued. Sl.No-42 dt. 15/01/25 15.01.25
07/02/25	संबंधित राजस्व उप निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। आवेदक की ओर से हाजिरी दी गई है। विपक्षी अनुपस्थित है। अधोहस्ताक्षरी के अन्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण न्यायालय कार्य नहीं हो सका। अभिलेख दिनांक- 28/02/2025 को रखें। 7/2/25 अंचल अधिकारी [illegible]	
28/02/2025	उभय पक्ष की ओर से हाजिरी दी गई है। दोनों पक्षों को विस्तृत रूप से सुना गया। आवेदक द्वारा लिखित जवाब भी दाखिल किया गया है। अभिलेख आदेश पर रखें। 28/2/25 अंचल अधिकारी [illegible]	

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2
08/03/2025	अभिलेख उपस्थापित। दोनो पक्षो को विस्तृत रूप से सुना गया। आवेदक टीकामनी महतो पिता स्व0 जगदीश महतो सा0 चिलगो पो0+थाना– चतरोचट्टी जिला बोकारो के द्वारा कहा गया कि वह खतियान के अनुसार खाता नं0– 4 का रैयत है उनके पूर्वज खतियान में कुलु महतो, देवकी महतो व चरण महतो पिता अनहच महतो दर्ज है। इन तीनो हिस्सेदारों के नाम से खतियान में व कब्जे व इजमल व हिस्सा व हिस्सा बराबर दर्ज है। जिसमें सभी प्लॉटों में तीनो हिस्सेदारों का नाम दर्ज है। जो आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व बॅटवारा कर अपने अपने हक व हिस्से में कुऑ, मकान बनाकर रहते आ रहे थे और शेष जमीन पर जोत–आबाद कर फसल उपजाते आ रहे थे। इन खतियानी रैयतों के मृत्यू के उपरान्त इनलोगो का वंशज भी जोत–आबाद कर फसल उपजाते आ रहे है और इसी बॅटवारा अनुसार वर्ष 1953 में द्वितीय पक्ष के हिस्से का जमीन DVC द्वारा अधिग्रहण किया गया है। जिसका मुआवजा भी द्वितीय पक्ष के पूर्वज के द्वारा ही प्राप्त किया गया है। उसके बाद 1971 ई0 में भी द्वितीय पक्ष के पूर्वज ने प्लॉट सं0–239, रकवा–0.41 एकड़ जमीन भी बिक्री किया गया है। इस प्रकार द्वितीय पक्ष के हिस्सेदारों ने लगभग 3.05½ ए0 (तीन एकड़ साढ़े पॉच डिसमील) भूमि बिक्री कर चुके है। आवेदक के द्वारा यह कहा गया कि वह कुलू महतो के वंशज है और द्वितीय पक्ष चरण महतो के वंशज है। विवादित प्लॉट कुलू महतो के हिस्से में है। जिसमें आवेदक के द्वारा वर्षों से जोत–आबाद कर फसल उपजाते आ रहे है। प्लॉट सं0– 545 रकवा–1.02 एकड़ मध्ये 0.34 एकड़ भूमि उनके हिस्से की है जिसे दूसरे पक्ष के द्वारा जबरन मकान बनाने के लिए नींव खुदाई का काम किया जा रहा है। अन्त में आवेदक के द्वारा कहा गया कि प्रश्नगत भूमि पर द्वितीय पक्ष का कोई हक व हिस्सा नहीं है। अतः उनके द्वारा उक्त भूमि से कब्जा मुक्त कराने का अनुरोध किया गया है। प्रतिवादी राजेश महतो एवं अन्य के द्वारा कहा गया कि खाता सं0–4 में कुलू महतो, देवकी महतो, चरण महतो पिता अनहच महतो सभी एक खाता का हिस्सेदार है। इस इजमाल प्लॉट– 545 मध्ये 34 डी0 मध्ये

IV

क्रम तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
	11 डी0 में जमीन बॅटवारा किया गया है। उनके द्वारा कहा गया कि खाता सं0 4 के इजमाल में सभी प्लॉट में बराबर बराबर बॅटवारा करना चाहते है। इसके पूर्व में हमारे पूर्वजों के द्वारा किसी भी तरह का बॅटवारा नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक, गोमियां से जॉच प्रतिवेदन प्राप्त है। उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा चिलगो के अन्तर्गत खाता सं0–4 प्लॉट सं0–543 रकवा– 1.02 एकड़ भूमि मध्ये 34 डी0 भूमि पर दोनो पक्षों के बीच विवाद है। उक्त भूमि रैयती खाते की है। खतियान उन्तीम महतो वगै0 के नाम से दर्ज है। Online में खतियान मे खाता न0–4, प्लॉट न0–543, में कुल रकवा–8 डी0 दर्ज है। पंजी–2 के पृष्ट संख्या–156(I) में कुलु महतो वगै0 के नाम से जमावंदी दर्ज है। उक्त विवादित भूमि पर द्वितीय पक्ष के द्वारा नींव हेतु खुदाई की जा रही थी। जिस पर प्रथम पक्ष ने आपत्ति दर्ज की थी। दोनो के पक्ष के लोग एक ही खाता नं0–04 में खतियानी रैयत के वंशज है आपसी भूमि बंटननामा को लेकर विवाद है। द्वितीय पक्ष का कहना है कि उनलोगो के बीच आपसी सहमति से बहुत पहले ही भूमि का बंटननामा हुआ था। उसके अनुसार यह जमीन उनकी हिस्से में आता है लेकिन इससे संबंधित अभी तक कोई भी कागजात भी पक्ष के द्वारा समर्पित नहीं किया गया है। दोनो पक्षकारों के दलीलो, साक्ष्यों एवं अभिलेख में संधारित अन्य राजस्व दस्तावेजों के आधार पर स्पष्ट होता है कि मौजा चिलगो के खाता सं0–4, प्लॉट सं0–545, रकवा– 1.00 ए0 मध्ये 0.34 ए0 भूमि पर वर्तमान समय में आपसी विवाद है। प्रश्नगत भूमि उभय पक्षकारो के पूर्वजों की संयुक्त सम्पत्ति है। आपस में बॅटवारा वैध तरीके से नहीं होने के कारण विवाद की स्थिति देखी गई है। प्रथम पक्ष के द्वारा प्रस्तुत बॅटवारानामा के अवलोकन से प्रतीत होता है कि आपसी सहमति से गोतिया के द्वारा वर्ष 2007 में एक सादा बॅटवारानामा तैयार किया गया था, जिससे प्लॉट सं0–	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

545 के रकवा– 34डी0 भूमि प्रथम पक्षकार के पूर्वजों के द्वारा उन्हें दिया गया था। परन्तु इस बँटवारानामा की वैधता सन्देहात्मक है।

चूँकि यह भूमि रैयती खाते की है तथा मामला स्वत्त्व निर्धारण से संबंधित है। स्वत्त्व निर्धारण का अधिकार व्यवहार न्यायालय को प्राप्त है। इसलिए प्रश्नगत भूमि पर हक से संबंधित निर्णय देना अंचल के क्षेत्राधिकार के बाहर है। उक्त विवेचन के साथ ही वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

8/3/25

अंचल अधिकारी
गोमिया।

8/3/25

अंचल अधिकारी
गोमिया।

स्थानः– गोमिया।
दिनांकः– 08.03.2025

Digitally signed by Md Aftab Alam
Date: 2025.05.10 15:31:54 +05:30
Location: 192.168.33.139